

प्रेषक,

संजय कुमार,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
सोनभद्र एवं झांसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:: दिनांक:: 25 अप्रैल, 2018

विषय: जनपद सोनभद्र एवं झांसी में सूखे के दृष्टिगत फसलों की क्षति से प्रभावित किसानों के भू-राजस्व देयों की वसूली का स्थगन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि मानसून सत्र में कम वर्षा के कारण प्रदेश के जनपद महोबा एवं ललितपुर के कुल 723 ग्रामों में तथा जनपद झांसी की तह0 मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली तथा मिर्जापुर की तह0 सदर, लालगंज, मड़ीहान के कुल 221 ग्रामों में भू-राजस्व देयों की वसूली दिनांक 30.06.2018 तक स्थगित किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 15.12.2017 तथा 21.12.2017 निर्गत किया गया है। सम्प्रति जनपद झांसी एवं सोनभद्र में कम वर्षा के कारण रबी की फसलों में हुई क्षति के फलस्वरूप शासनादेश सं0-161 / 1-11-2018-6(जी)/2017 दिनांक 06.04.2018 द्वारा जनपद सोनभद्र की 03 तहसील घोरावल, दुद्धी एवं राबर्टगंज तथा जनपद झांसी की तहसील टहरौली के 48 गाँव तथा तहसील झांसी के 27 गाँव सूखाग्रस्त घोषित किया गया।

2- उल्लिखित जनपदों की तहसील/गाँव के सूखाग्रस्त घोषित होने के कारण फसलों की व्यापक क्षति से किसानों की आजीविका अत्यधिक प्रभावित हुई है, ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करने के कारण कृषकों से भू-राजस्व की वसूली स्थगन निम्नवत् किया जाना है :-

| क्रम संख्या | जनपद    | प्रभावित तहसील का नाम                    | प्रभावित ग्राम की संख्या | ग्राम (जिनका भू राजस्व स्थगित किया जाना है)                                   |
|-------------|---------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1-          | झांसी   | 1. झांसी<br>2. टहरौली                    | 27<br>48<br>योग-75 ग्राम | शासनादेश सं0-161 / 1-11-2018-6(जी)/2017 दिनांक 06.04.2018 में उल्लिखित ग्राम। |
| 2-          | सोनभद्र | 1. घोरावल,<br>2. दुद्धी<br>3. राबर्टसगंज | समस्त ग्राम              | ---                                                                           |

3- उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-157 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-137(4) में उल्लिखित है कि राजस्व और किराये की वसूली को उस दिनांक से जिस पर वह देय होता है, से तीन माह से अधिक अवधि के लिए स्थगन हेतु राजस्व परिषद या राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

4- शासनादेश सं०-161/1-11-2018-6(जी)/2017 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के आधार पर उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-157 एवं उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-135 तथा 137 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अनावृष्टि के कारण प्रभावित जनपदों में कृषकों की फसलों को हुयी क्षति के दृष्टिगत राहत प्रदान करने हेतु भू-राजस्व के देयों की वसूली दिनांक: 30.06.2018 तक स्थगित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

5- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,

( सजय कुमार )

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या: 1099 (1)/एक-10-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निजी सचिव/प्रमुख सचिव मा० मुख्य मंत्री जी उ०प्र० शासन।
- 3- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उ०प्र०।
- 4- निजी सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- मण्डलायुक्त, झांसी एवं (विध्याचल मण्डल) मीरजापुर।
- 6- राजस्व अनुभाग-11
- 7- राजस्व अनुभाग-7
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( श्याम मोहन तिवारी )

उप सचिव।

o/c